न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 19/2024

जी.सी.एम.एस. : 2024/243

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मानाराम पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी बोलागुडा तहसील रानी जिला पाली		1. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार रानी 2. नायब तहसीलदार खिवाडा

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना
2. रेस्पोडेण्ट्स की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.8.2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार खिवाडा के राजस्व प्रकरण संख्या 01/2024 सरकार बनाम मानाराम में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2024 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि उपतहसीलदार खिवाडा ने अपीलाण्ट के विरूद्ध जैर निर्णय पारित करते समय अपीलार्थी को जवाब एवं साक्ष्य सबुत तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर ही जारी कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध होने से काबिल खारिज योग्य है। जैर अपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबुझ कर अपीलार्थी के विरूद्ध रजिंशवश गिरधारीसिह, हुकमसिंह पुत्र सुलतानसिंह, चन्दनसिंह पुत्र मोतीसिंह, हंसाराम पुत्र निम्बाराम से मिलिभगत कर अपीलार्थी को जैर अपील प्रकरण में तामिल करवाये बिना ही जैर अपील आदेश पारित करवा दिया गया। जैर अपील प्रकरण के संबध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024 में अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर नोटिस तारिख पेशी दिनांक 12.06.2024 जारी किया जिसे तामिल कुन्नींदा द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 21.06.2024 को सुबह 11.00 बजे तामिल करवाया एवं नोटिस के पृष्ठ भाग पर गलत रिपोर्ट करते हुए अंकन किया कि मानाराम द्वारा नोटिस लेने से इंकार करने से आबाद मकान पर चश्पा किया। अपीलार्थी को दिनांक 21.06.2024 को नोटिस की सुचना प्राप्त होते ही 12.30 पी.एम पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए और जैर अपील प्रकरण में जवाब का अवसर प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया लेकिन अधीनस्थ

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की घोर अवहेलना करते हुए अपीलार्थी को जवाब एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर उसी दिन दिनांक 21.06.2024 को साईक्लो–स्टाईल में टाईपसुदा निर्णय पारित कर दिया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही रंजिशवश एवं मिलीभगत से की गई है, जैर अपील आराजी ग्राम बोलागुडा की सरहद में खसरा नम्बर 183 रकबा 7.16 बीघा, खसरा नम्बर 194 रकबा 1.18 बीघा, खसरा नम्बर 154 रकबा 17.19 बीघा, खसरा नम्बर 153 रकबा 5.00 बीघा एवं खसरा नम्बर 188 रकबा 62.07 बीघा कुल खसरे 5 कुल क्षैत्रफल 120.05 बीघा स्थित है। उपरोक्त खसरान की भूमि में अपीलार्थी मानीया उर्फ मानाराम सहित उसके भाईयों बदा, हजीया, भीमला, खरतीया पुत्रगण पन्ना जाति भांबी प्रत्येक के हिस्से में 1/5 वां हिस्सा है जिसका अंकन जमांबदी संवत 2033 से 2036 में है। द्वितीय सेटंलमेट की कार्यवाही के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा उपरोक्त खसरो से बने नये खसरे के मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 188 रकबा 62.07 बीघा के आगे वर्णितानुसार नये खसरा नम्बर 225 से 228 बनाये जिसमे मूल रकबा 62.07 बीघा से करीब 8.07 बीघा भूमि कम दर्ज की गयी, जिसके संबध में अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर रहा है। अपीलार्थी अपनी पैतृक पुश्तैनी उपरोक्त गत खसरा नम्बर 183 व 188 कुल रकबा 70.03 भुमि मे से वक्त बंटवाडा से अपने हिस्से में आयी भूमि पर काबिज काश्त है। जैर अपील आराजी पर अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नही है, अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 236 गैर मुमकिन रास्ता की भुमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया है। पटवारी हल्का ने अपीलार्थी के विरूद्ध खसरा नम्बर 236 पर अतिक्रमण करने की गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जैर अपील आदेश की समस्त कार्यवाही नियम विरूद्ध एवं विधि के मान्य सिद्धातों के विपरित जाकर, जवाब एवं साक्ष्य के पर्याप्त अवसर दिये बिना पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर तारबंदी लगाकर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके संबध में पटवारी हल्का सांवलता द्वारा उप तहसीलदार खिवाडा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम बोलाकुडा के खसरा नम्बर 236 रकबा 1.3300 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिस पर उप तहसीलदार खिवाडा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर विधिवत नोटिस एवं जवाब का समुचित अवसर देकर जैर अपील आदेश कर आराजी पर कब्जा करने पर प्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल क़रने के साथ अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का सांवलता द्वारा उप तहसीलदार खिवाडा के समक्ष प्रस्तुत टी.पी. रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा ग्राम बोलाकुडा के खसरा नम्बर 236 रकबा 1.3300 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता पर अतिक्रमण करने पर उपतहसीलदार बगडीनगर ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण संख्या

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

01/2024 बअनवान सरकार बनाम मानाराम दायर कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.06.2024 को मातहत अदाल़त में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया, जिसकी पुश्त पर स्पष्ट अंकित है कि अतिक्रमी ने नोटिस लेने से इनकार किया जिसे स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में आबाद मकान पर चस्पा किया गया तथा मातहत आदेशिका दिनांक 21.06.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया। मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट के नाम विधिनुसार नोटिस जारी किया गया तथा उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात द्वारा जैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

वकील अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के कारण जैर अपील आराजी की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज हुई परन्तु अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जैर आराजी अपीलाण्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि हो तथा ग्राम बोलाकुडा के वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार भी खसरा नम्बर 236 की भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता है। यदि राजस्व रेकर्ड में कोई त्रुटि है तो अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। मातहत अदालत ने धारा 91 के तहत विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की नियमानुसार पालना करते हुये धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिनुसार है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, बलहीन होने से खारिज की जाती है। उप तहसीलदार खिवाडा के प्रकरण संख्या 01/2024 बअनवान सरकार बनाम मानाराम में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2024 को यथावत रखा जाता है। उप तहसीलदार खिवाडा को निर्णय की सत्यप्रति साथ उनके न्यायालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 13/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)